न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-368RAAJodhpur2022-215RTA225 Ramuram Vs Pannaram etc

रामूराम पुत्र स्व. झीपरराम जाति जाट, निवासी- लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. पन्नाराम पुत्र स्व. झीपंरराम जाति जाट,
2. स्व. मोतीराम के विधिक वारिसान्
   - 2.1. सुगना उर्फ सुवटी पुत्री स्व. मोतीरामजी पत्नी मोहनरामजी जाति जाट हाल निवासी अणवाणा, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
   - 2.2. भागीरथ पुत्र स्व. मोतीरामजी
   - 2.3. लुम्बाराम पुत्र स्व. मोतीरामजी दोनो जातियान् जाट, निवासी- लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
   - 2.4. अम्बा सियोल पुत्री स्व. मोतीरामजी पत्नी कपिलजी जाति जाट, हाल निवासी- प्लॉट नं. 24 मदेरणा कॉलोनी, तहसील व जिला जोधपुर।
   - 2.5. पदमा सियोल पुत्री स्व. मोतीरामजी पत्नी गोपालजी, जाति जाट, हाल निवासी- जूनी बस्ती मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर।
   - 2.6. पेमली देवी उर्फ प्रेमदेवी पत्नी स्व. मोतीरामजी, जाति जाट, निवासी- लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
3. सुखाराम पुत्र स्व. झीपरराम जी जाति जाट, निवासी- लवेरा खुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
4. स्व. श्रीमती सोनी पत्नी स्व. झीपरराम के विधिक वारिसान्
   - 4.1. श्रीमती फुसीदेवी पत्नी दुर्गाराम पुत्री स्व. झींपररामजी जाति जाट, निवासी- ग्राम नान्दिया जाजड़ा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
   - 4.2. श्रीमती तीजीदेवी पत्नी कंवराराम पुत्री स्व. झींपररामजी जाति जाट, निवासी- ग्राम जेतियावास, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. मैनेजर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक{मरूधरा बैंक} शाखा खेड़ापा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयन अधिकारी बावड़ी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 145/2020 रामूराम बनाम पन्नाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री शेखर मेवाड़ा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 28 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 145/2020 अनवान रामूराम बनाम पन्नाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 291, 431, 433, 525, 527, 570, 584, 724, 740 कुल रकबा 83.10 बीघा ग्राम लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी के संबंध में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए खसरा नं. 570, 291, 433 व 525 से अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया,, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। पत्रावली अप्रार्थी स्व. मोतीराम के वारिसान् की तामील में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में पारित स्थगन आदेश को 04 खसरे जो बहुमूल्य एवं एन.एच. 62 पर आये हुए है, उक्त खसरान् बाबत जारी स्थगन {राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्ति क्षेत्रफल को छोड़कर} अपास्त करने में भारी भूल की गई है। सक्षम प्राधिकारी{भूमि अवाप्ति} एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा जारी आदेश की पालना में विवादित भूमि जो ग्राम लवेरा खुर्द के खेत खसरा नं. 291 में सें 0.2973 हैक्टेयर, खसरा नं. 525 में सें 0.284 हैक्टेयर, खसरा नं. 570 में सें 0.137 हैक्टेयर, खसरा नं. 433 में से 0.1542 हैक्टेयर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अवाप्त की गई है, जिस पर सन् 2017-18 में पक्की डामर सड़क बनायी गयी है तथा मौके पर बिना रोक टोक आवागमन हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अवाप्ति की आड़ में रेकर्ड एवं मौका से परे जाकर उक्त खसरान् की संपूर्ण भूमि पर से स्थगन आदेश को अपास्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट्स उक्त खसरान् की अवाप्त भूमि के बाद शेष रही भूमि का <u>बेचान/हस्तांरण</u> करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022 को निरस्त किया जावे एवं खसरा नं. 570, 291, 433 एवं 525 में अवाप्त भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर विचारण न्यायालय मे मूल वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के मुताबिक अवाप्तसुदा भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई कर केवल राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त किये गये खसरान् से ही अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया है। शेष खसरान् के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर(तृतीय) जोधपुर द्वारा दिनांक 16.02.2017 को अपने नोटिस के जरिये ग्राम लवेरा खुर्द के खेत खसरा नं. 291 में सें 0.2973 हैक्टेयर, खसरा नं. 525 में सें 0.284 हैक्टेयर, खसरा नं. 570 में सें 0.137 हैक्टेयर, खसरा नं. 433 में से 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1542 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के चौड़ाकरण/टू-लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण हेतु अवाप्त किया जाना पाया जाता है।

. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के सेक्शन चार के मुताबिक अवाप्तसुदा भूमि के संबंध में किसी प्रकार का उज्र किसी अन्य न्यायालय अथवा ऑथोरिटी के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्ररिप्रेक्ष्य में अवाप्त सुदा भूमि के बाद खसरा नं. 570, 291, 433 एवं 525 की शेष रही भूमि से भी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दी गई जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं हैं। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 जुलाई 2022 को संशोधित किया जाकर खसरा नं. 291 में सें 0.2973 हैक्टेयर, खसरा नं. 525 में सें 0.284 हैक्टेयर, खसरा नं. 570 में सें 0.137 हैक्टेयर, खसरा नं. 433 में से 0.1542 हैक्टेयर के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है तथा उक्त खसरान् की शेष रही भूमि पर विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहाल किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले का विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर